

क्र. 1653 /एफ-1-149/31/एस-2/2020.  
प्रति,

मुख्य अभियंता,  
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
दिलासपुर (छ.ग.)

विषय-

जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड सवती के अन्तर्गत हसदेव बांगी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत जर्वे माईनर के आर.डी. 0 से 4000 मी., जर्वे सब माईनर के आर.डी. 0 से 1500 मी. के क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का पुनर्निर्माण, बहेरा माईनर के आर.डी. 150 मी. पर सुपर पैसेज का निर्माण, बोकरामुड़ा माईनर के आर.डी. 0 से 1000 मी. तक नहर के शेष मिट्टी का कार्य एवं सी.सी. लाईनिंग का निर्माण कार्य, कोलाबा लगाने का कार्य तथा जर्वे माईनर के आर.डी. 150 से 510 मी. में क्षतिग्रस्त फाल का पुनर्निर्माण। आर.डी. 1350 मी. एवं आर.डी. 3870 मी. में क्षतिग्रस्त व्ही.आर.वी का पुनर्निर्माण, जर्वे माईनर-1 के आर.डी. 300 मी. में सी.डी. आर.डी. 750 मी. में व्ही.आर.वी. निर्माण कार्य, जर्वे माईनर के आर.डी. 2500 से 3000 मी. तक टो-वॉल एवं मिट्टी का कार्य, आर.डी. 0 से 3500 मी. तक मुरुम बिछाने का कार्य, सकरेली माईनर के आर.डी. 2000 मी. से 3700 मी. तक क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-195/यो.प्र./प्रशा.स्वी./2020/9535, दिनांक 26.10.2020.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड सवती के अन्तर्गत हसदेव बांगी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत जर्वे माईनर के आर.डी. 0 से 4000 मी., जर्वे सब माईनर के आर.डी. 0 से 1500 मी. के क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का पुनर्निर्माण, बहेरा माईनर के आर.डी. 150 मी. पर सुपर पैसेज का निर्माण, बोकरामुड़ा माईनर के आर.डी. 0 से 1000 मी. तक नहर के शेष मिट्टी का कार्य एवं सी.सी. लाईनिंग का निर्माण कार्य, कोलाबा लगाने का कार्य तथा जर्वे माईनर के आर.डी. 150 से 510 मी. में क्षतिग्रस्त फाल का पुनर्निर्माण। आर.डी. 1350 मी. एवं आर.डी. 3870 मी. में क्षतिग्रस्त व्ही.आर.वी का पुनर्निर्माण, जर्वे माईनर-1 के आर.डी. 300 मी. में सी.डी. आर.डी. 750 मी. में व्ही.आर.वी. निर्माण कार्य, जर्वे माईनर के आर.डी. 2500 से 3000 मी. तक टो-वॉल एवं मिट्टी का कार्य, आर.डी. 0 से 3500 मी. तक मुरुम बिछाने का कार्य, सकरेली माईनर के आर.डी. 2000 मी. से 3700 मी. तक क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का मरम्मत कार्य हेतु लागत राशि रु. 261.10 लाख (रुपये दो करोड़ इकसठ लाख दस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई (975 हेक्टेयर) में 292.91 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, जल संसाधन विभाग, लेखाशीर्ष-4700-वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [01] हसदेव बांगो परियोजना {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (2898)-बांध तथा संलग्न कार्य, #26- वृहद् निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय

होगा।

सा.-1/सा.-2/सा.-3/बजट/स्था.सा.-1/स्था.सा.-2/  
स्था.सा.-3/स्था.मु.-1/स्था.मु.-2/स्टेनो/पी.एम.ई./  
कार्य/मु.लि./गु.नि./वि.प्र./ज.सू./आवात ...2

ले.आधि.

सां.प्र.अधि.

5  
11/3/21

अधी. अभि.

मु.अ.

6. ऋण शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 28/2018 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 12.03.2021 द्वारा सहायता प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत शक्ति एवं निर्धारित समयानुसार को अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में गिरावट/कटौती को सुनिश्चित किया जाये।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की प्रगति गूगल वीडियो सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
सथा आवेष्टासुसार

*(Signature)*  
25/03/2021  
( प्रमुख सचिव )

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(V) जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1654 / एफ-1-149/31/एस-2/2020.

नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हफ्तवारी, जीसी पाइप्ट, बलीबाबापार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीसी पाइप्ट, बलीबाबापार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-जाजगीर-चापा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्षा क्र-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, केलो परिमोजना बांध मण्डल, खरशिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, मिनीभाता बांधो नहर सभाग क्र-1, रायली, जिला-जाजगीर-चापा।  
की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित।
15. आदेश फोल्डर।

*(Signature)*  
25/03/2021  
अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(V) जल संसाधन विभाग